"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 नवम्बर 2006—कार्तिक 26, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2006

क्रमांक ई-1-21/2003/एक/2.—श्री जूसुफ मिंज, भा. प्र. से. (सीजी : 1997) को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 19[illegible] के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत 03-05-2006 से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (रु. 12750-375-16500) में नियुक्त किया जाता है. श्री जूसुफ मिंज, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर स्थानापन्न रूप में आगामी आदेश तक पदस्थ रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, [illegible]

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2006

क्रमांक ई-7/05/2005/1/2.—सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से., कलेक्टर, कोरिया को दिनांक 23-10-2006 से 04-11-2006 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही 21, 22 अक्टूबर एवं 05 नवम्बर, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. सुश्री निगार, भा. प्र से. अवकाश से लौटने पर कलेक्टर, कोरिया के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री निगार, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री निगार, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. सुश्री निगार की उक्त अवकाश अवधि में श्री ए. एल. टोप्पो, अपर कलेक्टर, मनेन्द्रगढ़ अपने कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, जिला कोरिया का कार्य भी संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2006

क्रमांक ई-7/26/2004/1/2.—श्री आर. पी. मण्डल, भा. प्र. से., सचिव छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 09-10-2006 से 28-10-2006 तक (20 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08 एवं 29-10-2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मण्डल, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मंण्डल, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मण्डल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

क्रमांक ई-7/4/2006/1/2.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 06-09-2006 द्वारा श्री मंदीप सिंह ब्रार, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, सरगुजा को दिनांक 17-08-2006 से 02-09-2006 तक (17 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. में संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 17-08-2006 से 01-09-2006 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15, 16 अगस्त 2006 के शासकीय अवकाश को जौड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

क्रमांक ई-7/56/2004/1/2.—श्री जी. एस. धनंजय, भा. प्र. से., कलेक्टर, कांकेर को दिनांक 26-12-2006 से 06-01-2007 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24, 25 दिसम्बर, 2006 एवं 07-01-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. श्री धनंजय के अवकाश अवधि में श्री एम. के. गुप्ता, रा. प्र. से., अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी, कांकेर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, कांकेर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री धनंजय, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, कांकेर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री धनंजय, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनंजय, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2006

क्रमांक ई-7/7/2005/1/2.—श्रीमती अलरमेलमंगई डी., भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, जगदलपुर को दिनांक 7-8-2006 से 11-8-2006 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 6, 12 एवं 13-08-2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलरमेलमंगई डी. आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती अलरमेलमंगई डी. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलरमेलमंगई डी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ 1-15/दो/आठ-परि./2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 1969 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 11 के उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (6) अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 19-3-2006 से 19-3-2007 की कालावधि के दौरान परिवहन उपनिरीक्षक एवं परिवहन आरक्षक की सीधी भर्ती के मामले में महिलाओं के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत होगा.''

No. F 1-15/Two/8-Transport/2005.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the State Government hereby makes the following further amendment to Chhattisgarh transport Department Sub-ordinate (Class III executive) Service Recruitment Rules, 1969. namely :—

AMENDMENT

In the said rules.—

After Sub-rule (5) of rule 11, the following sub-rule (6) shall be inserted, namely :—

"Notwithstanding anything contained in Chhattisgarh Civil Seva (Mahilaon Ki Niyukti Hetu Vishesh Upbandha). Niyam, 1997, the reservation for women candidates in case of direct recruitment of Transport Sub-inspector and Transport Constable during the period of 19-3-2006 to 19-3-2007 shall be 10 percent."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. वर्मा, अवर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ-1-25/06/10-1.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 197 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा निर्देश देती है कि उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबन्ध छत्तीसगढ़ वन विभाग के उन वनरक्षकों, वनपालों और उप वनक्षेत्रपालों को लागू होंगे, जो वन संरक्षण के संबंध में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वन मंडलों में पदस्थ हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ-1-25/06/10-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-25/06/10-1, दिनांक 9 अक्टूबर, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, अतिरिक्त सचिव.

Raipur, the 9th October 2006

No. F-1-25/06/10-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government hereby directs that the Provisions of sub-section (2) of the said section shall apply to the Forest Guards, Foresters and Deputy Rangers of the Chhattisgarh Forest Department who are posted in the Forest Divisions for maintenance of Public Order relating to Forest Protection.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
T. C. MAHAWAR, Additional Secretary.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-2-30/02/एम.—जिला जशपुर, सरगुजा एवं रायगढ़ के अंतर्गत डायमण्ड, गोल्ड एण्ड अदर एसोसिएटेड मिनरल्स के अन्वेषण हेतु 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये मे. रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन इंडिया लि. (पूर्व में मे. एसीसी रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन लि.) के पक्ष में दिनांक 11-8-2003 को स्वीकृत रिकॉनैसन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 19-12-2003 को हुआ था.

2. कम्पनी द्वारा अनुबंध निष्पादन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, एम. सी. आर. 1960 के नियम 7 (1) (i) के तहत कंपनी के पक्ष में रिकॉनैसन्स परमिट हेतु स्वीकृत 1000 वर्ग किलोमीटर का संपूर्ण क्षेत्र खाली हो गया है.

3. खाली हुए क्षेत्र के अक्षांश-देशांश तालिका में उल्लिखित है.

तालिका

(टोपोशीट क्र. 64 एन)

बिन्दु	देशांश	अक्षांश	बिन्दु	देशांश	अक्षांश
A	83°09'52"	22°46'45"	D	83°45'00"	22°49'14"
B	83°22'52"	22°46'45"	E	83°45'00"	22°37'51"
C	83°22'52"	22°49'14"	F	83°09'52"	22°37'51"

4. उपरोक्त तालिका में उल्लिखित क्षेत्र को खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 59 (1) (ii) के अन्तर्गत पुन: अनुदान हेतु खुला घोषित किया जाता है.

5. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् रिकॉनैसन्स परमिट के पुन: अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2006

क्रमांक/एफ-2-32/02/एम.—जिला जशपुर एवं सरगुजा के अंतर्गत डायमण्ड, गोल्ड एण्ड अदर एसोसिएटेड मिनरल्स के अन्वेषण हेतु 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये मे. रियो टिंटो एक्सलोरेशन इंडिया लि. (पूर्व में मे. एसीसी रियो टिंटो एक्सलोरेशन लि.) के पक्ष में दिनांक 11-8-2003 को स्वीकृत रिकॉनैसन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 19-12-2003 को हुआ था.

2. कम्पनी द्वारा अनुबंध निष्पादन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, एम. सी. आर. 1960 के नियम 7 (1) (i) के तहत कंपनी के पक्ष में रिकॉनैसन्स परमिट हेतु स्वीकृत 1000 वर्ग किलोमीटर का संपूर्ण क्षेत्र खाली हो गया है.

3. खाली हुए क्षेत्र के अक्षांश-देशांश तालिका में उल्लिखित है.

तालिका

(टोपोशीट क्र. 64 एम एवं 64 एन)

बिन्दु	देशांश	अक्षांश	बिन्दु	देशांश	अक्षांश
A	83°22'52"	22°58'08"	E	84°00'00"	23°00'00"
B	83°30'32"	22°58'08"	F	83°36'56"	23°00'00"
C	83°30'32"	23°06'50"	G	83°36'56"	22°49'14"
D	84°00'00"	23°06'50"	H	83°22'52"	22°49'14"

4. उपरोक्त तालिका में उल्लिखित क्षेत्र को खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 59 (1) (ii) के अन्तर्गत पुन: अनुदान हेतु खुला घोषित किया जाता है.

5. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् रिकॉनैसन्स परमिट के पुन: अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2006

फा. क्र. 12952/डी-2597/21-ब/छ. ग./2006.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 673/दो-2-101/2001/गोपनीय/06, दिनांक 07-10-06 के अनुपालन में श्री ए. के. पाठक, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद की सेवायें उप-सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य विभाग को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2006

फा. क्र. 12997/डी-191/21-ब/छ. ग./06.—राज्य शासन, निम्न न्यायिक अधिकारी को वर्ष 2006 में अधिवार्षिकीय आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप तालिका में उनके नाम के समक्ष स्तंभ क्र. 4 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त करता है :—

तालिका

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति का दिनांक
1.	श्रीमती शकुंतला दास	5-08-1946	31-08-06
2.	श्री रामकृष्ण बेहार	6-09-1946	30-09-06

F. No. 12997/D-191/XXI-B/C. G./06.—The State Government, hereby retires the following Judicial Officiers in the year 2006, who are being attending the age of 60 years, which is also shown in column No. 4.

TABLE

S. No.	Name of the Judicial Officers	Date of Birth	Date of retirement
1.	Smt. Shakuntala Das	5-08-1946	31-08-2006
2.	Shri Ramkrishn Behar	6-09-1946	30-09-2006

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2006

फा. क्र. 13105/डी-2247/21-ब/छ. ग./2006.—इस विभाग के आदेश क्रमांक-10351/1879/21-ब/छ. ग./2006 एवं क्रमांक-10349/1879/21-ब/छ. ग./2006, दिनांक 27-07-2006 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

"उक्त आदेश में श्री शेखर राम, अतिरिक्त लोक अभियोजक, अति. शासकीय अभिभाषक-कोरबा के आदेश के पैराग्राफ-एक के पंक्ति दो एवं तीन में "दिनांक 27-5-2005" के स्थान पर "दिनांक 27-05-2006" से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पढ़ा जावे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

क्रमांक-एफ 9-64/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप-धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक एफ 9-64/32/05, दिनांक 12-12-2005 द्वारा भिलाई-दुर्ग (भाग-1) विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

भिलाई-दुर्ग (भाग-1) विकास योजना की सारिणी क्रमांक-9-सा-5 का उपांतरण

क्र.	सारिणी का क्र.	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारिणी के कालम-4 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधि जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01	आवासीय	मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल
2.	02	वाणिज्यिक	मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल
3.	07	कृषि	मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. राज्य शासन एतद्द्वारा भिलाई-दुर्ग (भाग-1) विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण भिलाई-दुर्ग (भाग-1) विकास योजना का अभिन्न भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

क्रमांक-एफ 9-64/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप-धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक एफ 9-64/32/05, दिनांक 12-12-2005 द्वारा भिलाई-दुर्ग (भाग-2) विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

भिलाई-दुर्ग (भाग-2) विकास योजना की सारिणी क्रमांक-9-सा-5 का उपांतरण

क्र.	सारिणी का क्र.	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारिणी के कालम-4 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधि जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01	आवासीय	मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल
2.	02	वाणिज्यिक	मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल
3.	07	कृषि	मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. राज्य शासन एतद्द्वारा भिलाई-दुर्ग (भाग-2) विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण भिलाई-दुर्ग (भाग-2) विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ/10-30/2005/वाक/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-30/2005/वाक/पांच (85), दिनांक 09-10-2006 द्वारा गठित छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण में अध्यक्ष के पद पर वेतनमान रुपये 22,850-500-24,850 में श्री रामकृष्ण बेहार, (उच्च न्यायिक सेवा) सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ की नियुक्ति उनके द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है.

2. उक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2006 के नियम, 4 में विहित निर्बन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
(वित्त तथा योजना विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ 4-8/06/23/वियो.—राज्य शासन एतद्द्वारा जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा 3 (ग) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राकेश चन्द्राकर, अध्यक्ष ग्रामीण मंडल, ग्राम व पोस्ट तुमगांव, जिला महासमुन्द को तत्काल प्रभाव से जिला योजना समिति की कार्य अवधि तक के लिये जिला योजना समिति, जिला-महासमुन्द में सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट करता है.

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ 4-3/06/23/वियो.—राज्य शासन एतद्द्वारा जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा 3 (ग) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री गोवर्धन सिंह मांझी, ग्राम व पोस्ट गोहरापदर, ब्लाक मैनपुर, जिला रायपुर एवं श्री रमेश जालान, ग्राम व पोस्ट सरसींवा, ब्लाक बिलाईगढ़, जिला रायपुर को तत्काल प्रभाव से जिला योजना समिति की कार्य अवधि तक के लिये जिला योजना समिति, जिला-रायपुर-में सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. बिशी, विशेष सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2006

क्र./4430/डी-15/190/2004-05/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट बोर्ड के अधिकारियों को प्राधिकृत करती है :—

अधिसूची

(1) समस्त संयुक्त
(2) समस्त उप संचालक
(3) समस्त सहायक संचालक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ. 1-115/2004/सत्रह/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजपत्रित सेवा द्वितीय श्रेणी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000-275-13500/- एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक (1)	लो. से. आ. का पंजी (2)	नाम (3)	पदस्थापना स्थान (4)
1.	499	डॉ. अंजना भास्कर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुम्हरावंड, जिला बस्तर.

2. उपर्युक्त नियुक्तियां निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तारीख के 30 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थाई तथा अर्द्ध स्थाई) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (राजपत्रित) सेवा नियम-1988 के नियम-19 के अनुसार यह नियुक्तियां दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर होगी.

(च) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वास्थता प्रमाण-पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(छ) नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यार्थी को एक अंडर टेकिंग कार्य ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(ज) चयनित/अभ्यार्थियों/चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 11 अक्टूबर 2006

प्र. क्र. 1 अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बनखैरा प. ह. नं. 47	2.264	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग स./लोहारा जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत उलट नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 11 अक्टूबर 2006

प्र. क्र. 2 अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	कुटकीपारा प. ह. नं. 52	1.739	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम.	किनारीटोला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2006

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ. वि. अ./प्र. क्र.-26 अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	लभाण्डीह प. ह. नं. 113	20.732	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-1, रायपुर.	रायपुर में मण्डल की आवासीय योजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ. वि. अ./प्र. क्र.-07/अ-82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता ड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा भी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त मि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	परसुलीडीह प. ह. नं. 126/7	0.340	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (सेतु निर्माण) रायपुर संभाग.	तर्रीघाट सेतु निर्माण पहुंच मार्ग हेतु.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/वाचक./भू.अ./अ. वि. अ./प्र. क्र.-06 अ/82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कोटनी प. ह. नं. 69	8.93	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी.	नया रायपुर शहर के निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/वा.भू.अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./08/अ-82/वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	अमसेना प. ह. नं. 48	8.28	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर.	को राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

क्रमांक 187/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	बरपालीकला प. ह. नं. 02	0.918	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	बरपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

क्रमांक 188/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नंदेली प. ह. नं. 6	0.266	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	सक्ती उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 अक्टूबर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	खरसिया प. ह. नं. 11	4.810	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ + स) रायगढ़.	खरसिया बाईपास मार्ग क्रमांक-2 के निर्माण में अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अक्टूबर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	तेलीकोट प. ह. नं. 11	0.085	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ + स) रायगढ़.	खरसिया बाईपास मार्ग क्रमांक-2 के निर्माण में अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 19 अक्टूबर 2006

क्रमांक/8160/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	चिखलाकसा प.ह.नं. 71	0.60	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (सेतु निर्माण) संभाग, रायपुर.	चौकी-मोहला मार्ग के कि.मी. 10/4 पर माहुद मचांदुर नाला पुल में पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 नवम्बर 2006

क्रमांक/8471/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	0.71	कार्यपालन अभियंता, लोक नि. वि. (सेतु निर्माण) संभाग, रायपुर.	डोंगरगढ़ से चिचोला रेल्वे क्रॉसिंग पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006

क्रमांक/980/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	कापसपोटी	8.03	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	दुधावा दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006

क्रमांक/983/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	कोर्रामपारा	3.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	दुधावा दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006

क्रमांक/986/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	अभनपुर	2.08	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	दुधावा दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006

क्रमांक/989/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	भैसमुड़ी	2.80	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	दुधावा दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 अक्टूबर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-आमापाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.845 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
24/1	0.138
25.	0.032
30/1	0.121
35.	0.016
73	0.146
24/4	0.048
26/1	0.073
33	0.036
55	0.178
130/1	0.057
योग 10	0.845

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चपले बसनाझर मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 अक्टूबर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-खैरपाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.222 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
314/1	0.041
315/1, 316/1 (5)	0.012
317/1	0.004
320/1	0.041
320/3	0.028
321	0.064
315/1, 316/1 (1)	0.032
योग 7	0.222

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चपले बसनाझर मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 अक्टूबर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-कुकरीझरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.589 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59.	0.004
128	0.040
129/2	0.016
129/4	0.016
134	0.012
138	0.162
150	0.069
118/1	0.194
129/1	0.016
129/3	0.016
133/1	0.008
135	0.028
149	0.008
योग 13	0.589

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चपले बसनाझर मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 अक्टूबर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बसनाझर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.415 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
96	0.045
98/2	0.029
98/5	0.029
99	0.008
101/3.	0.028
101/5	0.018
130/2.	0.008
183	0.004
189	0.012
98/1	0.045
98/3	0.029
98/749/2	0.069
100	0.012
101/4	0.022
102/2	0.032
132	0.005
184	0.004
590	0.016
योग 18	0.415

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चपले बसनाझर मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अक्टूबर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-उर्दना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.308 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
189/1	0.040
189/3	0.109
189/2	0.090
189/4	0.069
योग	0.308

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो सेतु पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अक्टूबर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोसमपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.234 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
77/2	0.162
210/6	0.704
78/1	0.190
210/7	0.178
योग 4	1.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- [illegible] जलाशय हेतु पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, [illegible]

[illegible]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद [illegible] में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तिरथुम, प.ह.नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.13 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
296	0.02
206	0.04
145	0.05
216	0.29
204	0.08
126	0.04
147	0.04
276	0.03
128	0.02
170	0.20
161	0.13
214	0.15
151	0.02
144	0.06
162	0.17
149	0.18
206	0.10
131	0.14
362	0.37
291	0.04
213	0.12
303	0.08
364	0.31
189	0.19
293	0.12
301	0.04
302	0.10
योग	3.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक /क/भू-अर्जन/4/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डिलमिली, प.ह.नं. 68
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
223	0.03
224	0.10
226	0.09
278	0.45
343	0.43
281	0.10
282/1	0.03
282/2	0.03
283/1	0.04
283/2.5	[illegible]
3/4	0.23
322	0.23
333	0.14
350	0.31
351	0.15
430	0.57
443	0.33
450	[illegible]
455/1	[illegible]

(1)	(2)
444	0.17
452	0.30
455/2	0.03
योग	4.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 19 अक्टूबर 2006

क्रमांक/ 8161/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगढ़
(ग) नगर/ग्राम-पारागांवकला, प.ह.नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-24.36 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2/1	0.06
3	0.02
43	0.09
473	0.10
469	0.20
4/1	0.20
317	0.50
5/1	0.55
592/1	0.40
5/2	0.55
7	0.07
588	0.30
589	0.25
344	0.02
42	0.07
49	0.30
44	0.77
470/2	0.20
472/4	0.30
472/3	0.02
50	0.09
115	0.04
393/1	0.60
51	0.42
52	0.41
62	0.57
73	0.43
65/1	0.09
593/1	0.40
394	0.08
144/1	0.06
66/5	0.29
470/1	0.30
58	0.30
56	0.11
57/2	0.64
466	0.50
535	0.35
343	0.07
143	0.84
145	0.18
596/1	0.63
142	0.07
146	0.46

(1)	(2)
147/1	0.05
147/2	0.10
156/2	0.34
156/3	0.03
156/4	0.27
475/1	0.27
475/2	0.78
474/1	0.71
470/3	0.25
472/2	0.23
472/5	0.50
463	0.02
464	0.35
465	0.25
471/3	0.10
471/4	0.15
523	0.15
537/1	0.05
583	0.15
524	0.20
536	0.50
591	0.05
324	0.25
587	0.50
525/1	0.20
526/1	0.25
333	0.12
528	0.05
532/1	0.30
592/2	0.40
411/1	0.10
412/3	0.39
403/1	0.55
403/2	0.10
402/3	0.25
392	0.15
318	0.20
325/1	0.20
325/2	0.20
323	0.45
328	0.05
331	0.0[illegible]
332	0.10
339/1	0.30
342/1	0.30
342/2	0.30
345/1	0.03
योग 91	24.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - [illegible] क्रमांक 2 बायीं तट नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 अक्टूबर 2006

क्रमांक /8162/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - राजनांदगांव

(ख) तहसील - राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम - थलीटोला, प.ह.नं. 55

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.91 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
232/3	0.07
262/3	[illegible]
232/2	0.15
231/1	0.[illegible]
221/2	0.[illegible]
221/4	0.10

(1)	(2)
221/1	0.09
231/2	0.07
221/3	0.07
231/3	0.07
234	0.11
221/5	0.06
189/2	0.09
273	0.28
265/2	0.04
266	0.13
262/1	0.09
261/1	0.35
258/6	0.09
263/2	0.09
255/2	0.18
255/7	0.10
247/1	0.08
188	0.06
189/1	0.20
265/1	0.08
289	0.05
योग 27	2.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोलियारी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 अक्टूबर 2006

क्रमांक/8163/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पठानढोड़गी, प.ह.नं. 55
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.96 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
574/1	0.36
487/5	0.46
476/2	0.15
476/1	0.10
477/2	0.18
477/1	0.09
475	0.07
375/3	0.20
369/3	0.20
617/2	0.05
382/1	0.10
योग 11	1.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोलियारी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 अक्टूबर 2006

क्रमांक/8164/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-जोशीलमती, प.ह.नं. 56

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	249/6	0.30
	14/2	0.05
	18/5	0.14
योग	03	0.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कोलियारी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 अक्टूबर 2006

क्रमांक/8165/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-हर्राटोला, प.ह.नं. 56

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	17	0.10
	18	0.08
	13/2	0.09
	13/1	0.04
योग	4	0.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोलियारी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 अक्टूबर 2006

क्रमांक/8166/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-चिरचारीकला, प.ह.नं. 57

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.13 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
509	0.11
504	0.22
503	0.04
488/3	0.10
488/7	0.21
488/2	0.08

(1)	(2)
488/1	0.09
487/2	0.36
484/1	0.17
336	0.50
337	0.09
317	0.10
311	0.12
306	0.16
305	0.35
294	0.26
284/6	0.11
284/7	0.06
योग 18	3.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोलियारी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लांन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 253/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ओडेकेरा, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.554 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2163/3	0.185
2163/5	0.078
2396/1	0.020
806/1, 806/3	0.162
624/1	0.016
2172	0.004
2450/1	0.016
2450/3	0.020
803/1, 804, 805	0.053
योग	0.554

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बरदुली वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 254/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-बरदुली, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.296 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
746	0.134
740/3	0.004
741	0.004
733	0.004
736/2	0.006
696/2	0.012
696/4	0.006
712, 713	0.008
700/1, 700/3	0.073
717/2	0.045
योग	0.296

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बरदुली माइनर-1.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 255/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-छिर्राडीह, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.064 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
510	0.044
524	0.004
493/5	0.012
511	0.004
योग	0.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-छिर्राडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 256/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-देवरघटा, प. ह. नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.114 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
363/1	0.014
380/1	0.040
450, 458, 459	0.012
441/1, 2, 442	0.016
444	0.008
930	0.012
981/2	0.008

(1)	(2)
983	0.004
योग	0.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-देवरघटा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 258/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आमाकोनी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.277 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
172/11	0.008
172/5	0.012
57/2	0.004
59/1	0.012
59/2	0.004
60/1	0.012
63	0.028
155	0.016
124/1	0.008
140, 141	0.008
138/2, 139/2	0.020
131	0.008
132	0.020
133/1, 133/2	0.045
123	0.008
246/1	0.028
250	0.028
256	0.004
257/3	0.004
योग	0.277

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-आमाकोनी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 259/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भनेतरा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.149 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
79	0.012
86/1	0.004
375	0.024
98	0.004

(1)	(2)
70, 90/5	0.004
73/3	0.052
373/2	0.012
78/1	0.033
78/2	0.004
योग	0.149

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भनेतरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 260/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पिसौद, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.106 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
558/1	0.020
544/1, 2	0.008
615/1	0.004
618	0.008
599/1	0.018
629	0.008
651	0.028
653	0.004
567/1	0.004
678/2	0.004
योग	0.106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है भनेतरा ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 294/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बहेराडीह, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.136 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14	0.024
7	0.004
387/1	0.016
319	0.004
249/7	0.004
248	0.004
246, 250/2	0.020
660/2	0.024
654	0.020

(1)	(2)
562/60	0.004
272	0.012
योग	0.136

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-आमाकोनी ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 9/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गाडामोर, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.289 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
189/3	0.028
213	0.012
214	0.004
252/1	0.008
256/2	0.016
262/1	0.004
267	0.004
263/2	0.008
266/2	0.020
343/2	0.008
318/6	0.012
318/4	0.016
318/3	0.020
318/1	0.004
313	0.016
339/2	0.004
369/1	0.004
595/1 ख	0.004
603	0.036
601/1	0.020
601/3	0.020
605/3	0.021
योग	0.289

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-[illegible] शाखा वितरक (गाडामोर माइनर).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

क्रमांक 43/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दुर्ठा, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.221 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
654/1	0.101
570/10	0.004
570/11	0.004
570/12	0.008
576/1	0.012
576/2	0.016
276/2	0.020
200	0.024
209/1	0.032
योग 9	0.221

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-ठुठी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 117/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.118 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
709	0.058
687/2	0.024
711/2, 6, 9	0.036
योग 3	0.118

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-खम्हरिया माइनर-II.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 अप्रैल 2006

क्रमांक 1/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-पेटफोरवा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.210 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
341	0.073
348/1	0.113
353/1	0.012
353/2	0.012
योग 4	0.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-दारंग कड़ारी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, चांपा/सक्ती/डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 अप्रैल 2006

क्रमांक 2/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-चोरिया, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.300 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1601/9	0.150
	1601/10	0.150
योग	2	0.300

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-चोरिया सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, चांपा/सक्ती/डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर-492001

परिशिष्ट-1

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2006

क्रमांक-एफ/134/न.पा./रानिआ/समय कार्यक्रम/2006.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-14 (1) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम [illegible] की धारा-20 (2) (क), छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 36 (2) (क) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन [illegible] के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट-2 में अंकित नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत) के उप-निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

क्र. (1)	कार्यवाही (2)	संबंधित नियम (3)	निर्धारित तारीख (4)
1.	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	21, 22	17 नवम्बर 2006 (शुक्रवार) प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	22 "क"	17 नवम्बर 2006 (शुक्रवार) प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)	(4)
	(iiii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन.	16	17 नवम्बर 2006 (शुक्रवार) प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
2.	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21 (क)	23 नवम्बर 2006 (गुरुवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	21 (ख)	24 नवम्बर 2006 (शुक्रवार) प्रातः 10.30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख	21 (ग)	27 नवम्बर 2006 (सोमवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	31, 32	27 नवम्बर 2006 (सोमवार) अभ्यर्थिता वापसी के बाद
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21 (घ)	08 दिसंबर 2006 (शुक्रवार) प्रातः 7.00 बजे से 5.00 बजे तक
7.	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा	21 (ङ)	[illegible]0 दिसम्बर 2006 (रविवार) प्रातः 9.00 बजे से

ओंकार सिंह,
सचिव.

परिशिष्ट-दो

नगरपालिका उप निर्वाचन 2006 (उत्तरार्द्ध)

उप-निर्वाचन से संबंधित रिक्त पद एवं वार्डों की जानकारी

क्रमांक	जिला	नगरपालिका का नाम	पद एवं रिक्त वार्ड	
			अध्यक्ष/पार्षद	रिक्त वार्ड का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जांजगीर-चांपा	नगरपालिका परिषद्, अकलतरा	पार्षद	12
		नगरपालिका परिषद् चांपा	पार्षद	21
2.	सरगुजा	नगर पंचायत, वाड्रफनगर*	अध्यक्ष	-
		नगर पंचायत, सीतापुर	पार्षद	11
		नगर पंचायत, रामानुजगंज	पार्षद	13
3.	रायपुर	नगर पंचायत, अभनपुर*	अध्यक्ष	-
4.	महासमुंद	नगर पंचायत, पिथौरा	पार्षद	8
5.	दुर्ग	नगरपालिका परिषद्, भिलाई-चरौदा	पार्षद	24
		नगरपालिका परिषद्, बेमेतरा	पार्षद	3
6.	राजनांदगांव	नगर पंचायत, खैरागढ़	पार्षद	5
		नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी*	अध्यक्ष	-
7.	बस्तर	नगरपालिक निगम, जगदलपुर	पार्षद	22
		नगरपालिका परिषद्, कोंडागांव	पार्षद	5

* माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा स्थगन प्राप्त है.

ओंकार सिंह,
सचिव.

परिशिष्ट-एक

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2006 (उत्तरार्द्ध) समय-अनुसूची (कार्यक्रम)

क्रमांक	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख/ दिन/समय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(1) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	28	17 नवम्बर 2006 (शुक्रवार) प्रात: 10.30 बजे से
	(2) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29 क	—"—
	(3) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	—"—
2.	नाम निर्देशन प्राप्त करने की आखिरी तारीख	28 क	23 नवम्बर 2006 (गुरुवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	28 (ख)	24 नवम्बर 2006 (शुक्रवार) प्रात: 10.30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख .	28 (ग)	27 नवम्बर 2006 (सोमवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38	27 नवम्बर 2006 (सोमवार) अभ्यर्थिता वापसी के बाद
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28 (घ)	08 दिसंबर 2006 (शुक्रवार) प्रात: 7.00 बजे से 3.00 बजे तक
7.	मतगणना		08 दिसम्बर 2006 (शुक्रवार) मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरंत पश्चात
8.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा पंच, सरपंच/जनपद सदस्य के मामले में.		10 दिसंबर 2006 (रविवार) खण्ड मुख्यालय पर प्रात: 9.00 बजे से

एच. यू. खान,
उप-सचिव.